

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ल- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

सं.सीप्ल-सेज़/एलएबी/502/15-16/

दिनांक: 05 अक्टूबर, 2015

परिपत्र सं. 02/2015

विषय: श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार कार्यालयों को जीविका केंद्रों के रूप में
रूपांतरित करके नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन।

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली रोजगार कार्यालयों को जीविका केंद्रों के रूप में रूपांतरित करके नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन कर रही है।

मंत्रालय ने रोजगार केंद्रों जिनमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जीविका परामर्श, नौकरी अनुरूपन आदि शामिल है, से संबंध महत्वपूर्ण प्रकार्यों वाला पोर्टल विकसित किया है। विस्तृत कार्यक्रम के लिए एनसीएस विवरणिका संलग्न है। एनसीएस पोर्टल पर जीविका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं जिनका रोजगार कार्यालयों के अधिकारियों, परामर्शदाताओं तथा स्टेकधारकों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। ऑन बोर्डिंग के लिए आसान उपायों का विवरण संलग्न है, (पंजीकरण के लिए उपाय)।

इस परियोजना की सफलता इसके महत्वपूर्ण स्टेकधारकों की सक्रिय भागीदारी पर पूर्ण रूप से निर्भर है जिसका विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध है। उक्त पोर्टल पर उपलब्ध रोजगार संबंधी अवसर तथा विकल्प पूरे देश भर में देखे जा सकते हैं। इसके जरिए उद्योग की मांग के अनुरूप कौशलों की उपलब्धता को भी सुकर बनाया जा सकता है।

स्टेकधारकों की वैयक्तिक पहचान के सत्यापन के लिए यह एनसीएस पोर्टल यूआइडीएआइ (आधार) डाटाबेस के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत है तथा शीघ्र ही यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पैन डाटाबेस के साथ भी एकीकृत हो जाएगा।

यह पोर्टल अत्यंत पारदर्शी तथा प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से रोजगार अनुरूप सेवाएं प्रदान करता है। नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) के अंतर्गत अन्य रोजगार सेवाओं के साथ कौशल विकास पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता, जीविका मार्गदर्शन आदि से संबंधित सूचनाएं जैसी विविध सेवाएं उपलब्ध हैं।

इस पोर्टल के जरिए प्रदान की जानेवाली गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:-

- (क) रोजगार से संबंधित सेवाएं चाहने वाले उम्मीदवारों का ऑनलाइन पंजीकरण।
- (ख) आवेदक विभिन्न रोजगार कार्यालयों में गए बिना पोर्टल पृष्ठों का प्रयोग करते हुए कहीं से भी स्वयं डाटाबेस के जरिए अपना नामांकन करवा सकते हैं/खोज कर सकते हैं।
- (ग) आधार प्रमाणित डाटाबेस।
- (घ) रोजगार रिक्ति अधिसूचना/प्रविष्टि के साथ प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण।
- (ङ) रोजगार खोजनेवालों, नियोक्ताओं तथा स्थानीय सेवा प्रदाताओं/खोजनेवालों के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डाटाबेस का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन खोज सुविधाएं।
- (च) वर्कफ्लो के स्वचालन के रूप में आवेदनों के इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटरीकृत तथा क्लाउड आधारित सिस्टम।
- (छ) जीविका परामर्श, मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता, शिक्षुता योजनाओं आदि के संबंध में ऑनलाइन सूचना का उपलब्ध होना।
- (ज) किसी को भी, कहीं से भी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कस्टोमाइज्ड रिपोर्ट बनाना तथा भेजना।
- (झ) सीएससी, ई-कीऑस्क जैसे मल्टी डिलीवरी चैनलों के जरिए रोजगार संबंधी सेवाओं की व्यवस्था।
- (ञ) एसएमएस, ई-मेल तथा आइवीआरएस आदि के जरिए अपडेट्स, अधिसूचनाएं/एलर्ट्स जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं की उपलब्धता।
- (ट) पंजीकरण, प्रोफाइल अपडेशन आदि में उम्मीदवारों तथा प्रतिष्ठानों की सहायता करने के लिए बहुभाषी (मल्टी लिंग्वल) कॉल सेंटर सेवाएं उपलब्ध हैं।
- (ठ) सत्यापन के लिए रोजगार कार्यालयों, जिलों, राज्यों, मंत्रालयों के डाटा, विनिर्माण तथा उद्योग एसोसिएशनों, शैक्षिक संस्थाओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा परीक्षा निकायों के बीच सूचनाओं की साझेदारी तथा उपलब्धता।
- (ड) स्मार्टफोन्स/लैपटॉप जैसी सुवाह्य साधनों पर पोर्टल की उपलब्धता।

एसीएस पोर्टल उद्योग, रोजगार चाहनेवालों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं के बीच यूआरएल www.rcs.gov.in पर भी उपलब्ध है ताकि जीविका विकल्पों तथा रोजगार के अवसरों से संबंधित जानकारियां सभी स्टेकधारकों के लिए सुलभ हों। एनसीएस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ताओं की सहायता करने हेतु पोर्टल का अपना सहायता डेक्स है जिसका टोल फ्री नंबर (1800-425-1514) है।

(पी.एस.रामन)

संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़

अनुलग्नक:- एनसीएस विवरणिका

प्रतिलिपि:-

- 1) सीपज़ -सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ यूनिट
- 2) सीपज़, जेम्स तथा ज्वैलरी मैन्यूफेक्चरिंग एसोसिएशन, बीएफसी बिल्डिंग.
- 3) चेरमैन, सीमा, सीपज़-सेज़, मुंबई
- 4) रिजनल डायरेक्टर, 100%. ईओयू तथा सेज़ के लिए ईपीसी
- 5) आइटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए